संख्याः नि0 1844 /3–5 (वाई0ला0बोर्ड)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइटwww.forest.uk.gov.in/
फोन / फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी /
वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 27 मार्च, 2019।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सेक्टर योजना "वाईल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता" के अन्तर्गत कोषागार मद में बजट का आवंटन।**

संदर्भ– शासनादेश सं0 1325/X-2-2018-12(41)/2012 दिनांक 04 जुलाई, 2018 एवं तद्क्रम में शुद्धिपत्र सं0 1664/X-2-2018-12(41)/2012 दिनांक 13 जुलाई, 2018 **(छायाप्रतियां संलग्न)**।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई0डी0–S1807270007** दिनांक 02.07.2018से वित्तीय वर्ष 2018–19 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सेक्टर योजना **"2406–02–110–03–00–वाईल्ड लाइफ बोर्ड को सहायता"** के अन्तर्गत **कोषागार मद** में अवमुक्त धनराशि **₹70,00,000 / – (₹सत्तर लाख मात्र)** के सापेक्ष पूर्व में **उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद के उपयोगार्थ** अवमुक्त / जारी धनराशि **₹ 16,00,000 / – (₹सोलह लाख मांत्र)** के अतिरिक्त **वर्तमान में ₹2,00,000 / – (₹दो लाख मात्र)** का ऑन लाईन आवंटन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–**निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून** को **उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद के उपयोगार्थ** निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से **कोषागार मद** में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1– सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित **शर्तो एवं प्रतिबन्धों** का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– आवंटित धनराशि **उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद के कार्यो के संचालन हेतु** उनकी वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण आवश्कतानुसार ही आवंटित की जायेगी।

3– धनराशि का आहरण / व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

4– अवमुक्त धनराशि का व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017**, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करत किया जाये।

5– बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाये।

6– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

7– निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश, संख्या 638/XXX-1-12(25)2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

8– कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत / कराया न हो।

9– योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक प्रगति रिपोर्ट / उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

10– आवंटित / जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

संख्याः नि0 1844 (1)/3—5 (वाई0ला0बोर्ड) तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2— महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3— अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4— अपर सचिव, वित्त अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,उत्तराखण्ड देहरादून।
8— अध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड, राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद, देहरादून।
9— आहरण वितरण अधिकारी—**निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून। कृपया उक्त** आवंटित धनराशि **उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद** के उपयोगार्थ है जो उक्त **बिन्दु संख्या—1** से **10** में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आवंटित/जारी धनराशि का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
10—मुख्य वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटित/जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1844/3-5

अलोटमेंट आई डी - H1903273686

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -28-Mar-2019

DDO Name - Director Rajaji Tiger Reserve Dehradun (4325) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक 2406 - धानिकी तथा वन्य जीवन

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

03 - वाईल्ड लाईफ़ बोर्ड को सहायता

00 - वाईल्ड लाईफ़ बोर्ड को सहायता

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	1600000	200000	1800000
	1600000	**200000**	**1800000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 200000

वित्त नियन्त्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner